फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

विजय कुमार बनाम अनिता जैन

दीवानी वाद संख्या 29/18

सीआईएस संख्या 30/18

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.04.2026	श्री प्रतीक मेहता, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। श्री अविनाश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र वास्ते ड्यूली स्टाम्प करवाये जाने बाबत दिनांकित 06-04-2026 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 06-04-2026 सुनी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र वास्ते कराये जाने ड्यूली स्टाम्प दस्तावेजात दिनांकित 06-04-2026 पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा फर्द दस्तावेजों के साथ जो इकरारनामा मुबलिग 25,00,000/- रूपये दिनांकित 10-05-2016 प्रस्तुत किया गया है वह अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, जिसे साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजों को परिबद्ध कर सम्यक रूप से मुद्रांकित करने हेतु स्टाम्प कलेक्टर अजमेर को प्रेषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने तर्कों के समर्थन में सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत 2026 INSC 300 Krishnavathi Shrma vs Bhagwandas Sharma and Ors प्रस्तुत किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह इकरारनामा श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02 किशनगढ के समक्ष लंबित दीगर प्रकरण में प्रदर्श ए 3 के रूप में प्रदर्शित हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस इकरारनामा के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देकर विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है। इस इकरारनामें को केवल सम्पार्श्विक प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्टाम्प कलेक्टर को भेजा जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।	

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

हस्तगत प्रकरण में इकरारनामा दिनांकित 10-05-2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह इकरारनामा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 किशनगढ़ के न्यायालय में प्रदर्श ए3 के रूप में प्रस्तुत होकर प्रदर्शित हो चुका है एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इसी इकरारनामे के आधार पर उभय पक्षों द्वारा इस इकरारनामें व विवादित संपत्ति का विक्रय पत्र प्रदर्श 17 उप पंजीयक किशनगढ़ के समक्ष निष्पादित करवाया जा चुका है, जो विक्रय पूर्ण रूप से स्टाम्पित व मुद्रांकित है। इसके अतिरिक्त इस इकरारनामें को केवल सम्पार्श्विक प्रयोजन हेतु साक्ष्य में प्रस्तुत करना जाहिर किया है। परिणामतः इस न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस इकरारनामें को परिबद्ध कर सम्यक रूप से स्टाम्पित करने हेतु स्टाम्प कलेक्टर, अजमेर को भेजा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अब हम प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को दो अलग-अलग दस्तावेजो के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद करना बताया है। परंतु प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा वादग्रस्त दुकान के संबंध में किए गए इकरारनामे की प्रति को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों को प्रतिवादी संख्या 02 से तलब किया जावे एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी उस दस्तावेजात का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं दिया है, जिसे वह प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 से तलब करवाना चाहता है। इसके अतिरिक्त इस वादग्रस्त दुकान के संबंध में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद है। ऐसी

स्थिति में इस इकरारनामें को तलब किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया हस्तगत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी/वादी ने इस प्रकरण में विवादित वादग्रस्त दुकान के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित इकरारनामें को तलब किया जाने की प्रार्थना की है, जिस इकरारनामा का प्रतिवादी संख्या 02 के कब्जे में नहीं होने के संबंध में उसके द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि यह इकरारनामा हस्तगत प्रकरण के पक्षकारों एवं विषयवस्तु से संबंधित है, ऐसी स्थिति में यह इकरारनामा इस न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। परिणामतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 को यह आदेशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी पर वादग्रस्त दुकान के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किए गए इकरारनामें की मूल/प्रमाणित प्रति को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत होने इकरारनामा/साक्ष्य वादी हेतु दिनांक....................को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.04.30 12:28:18 +0530